

दावा सूचना-पत्र

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, जो वाणिज्यकर विभाग ३०प्र० में लागू है,  
के संबंध में हत्या /दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की सूचना

सेवा में,

कमिशनर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

टेलीफोन नं० :- 0522-2721140

फैक्स नं० :-

(बजट अनुभाग)

विषय :- वाणिज्यकर विभाग, ३०प्र० के पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बाधित अवधि के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु अथवा हत्या अथवा पूर्ण विकलांगता अथवा आंशिक विकलांगता की सूचना ।

महोदय,

सूचित करना है कि निम्न पंजीकृत व्यापारी की हत्या / दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता / आंशिक विकलांगता हो गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. मृतक पंजीकृत व्यापारी का नाम .....
2. हत्या / दुर्घटना की तिथि एवं संक्षिप्त विवरण .....
3. मृत्यु की तिथि .....
4. विकलांगता का प्रतिशत .....
- (साक्ष्य स्वरूप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
5. फर्म का नाम / पता .....
6. पंजीयन संख्या .....
7. खण्ड .....संभाग .....जोन.....
8. बीमा क्लेम के अर्ह दावेदार का नाम एवं मृतक से संबंध .....
9. मृत्यु की सूचना देने वाले का नाम / पता /  
दूरभाष नं० / मोबाइल नं० .....

(यथा मृतक का रिश्तेदार / वाणिज्य मण्डल /

वाणिज्यकर विभाग का संबंधित कार्यालय)

उक्त व्यापारी के दुर्घटना बीमा दावे से संबंधित दावा-पत्र एवं सभी वॉछित प्रपत्र ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) / (कारपोरेट सर्किल) के माध्यम से अलग से यथाशीघ्र प्रेषित किये जायेंगे, जिसकी पावती के एक माह के अंदर भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

दिनांक :-

संलग्नक :- यथोपरि ।

मृत्यु / विकलांगता की सूचना देने वाले का नाम / पता

(यथा-मृतक का रिश्तेदार / व्यापारी स्वयं /वाणिज्य मण्डल

वाणिज्यकर विभाग का संबंधित कार्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. एडीशनल कमिशनर (लेखा) वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) / (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्यकर, .....संभाग, .....